न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—20 / 2024 / 225 आर.टी.एक्ट (2024 / 20)

1. मदन सिंह पुत्र डूंगा
2. मोहन सिंह डूंगा
3. हेमसिंह पुत्र डूंगा
4. मिठूसिंह पुत्र डूंगा (फौत)
   4 / 1 सुरेश सिंह पुत्र स्व0 मिठूसिंह
   समस्त जाति रावत निवासी अन्धेरी देवरी तहसील मसूदा जिला ब्यावर।

अपीलांट्स

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र इन्द्राराम जाति मेघवाल जाति निवासी अन्धेरी देवरी तहसील मसूदा जिला ब्यावर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, मसूदा जिला ब्यावर।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 02.08.2023(संशोधित आदेश दिनांक 04.10. 2023) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा जिला ब्यावर राजस्व वाद संख्या 44 / 2023

उपस्थितः—

1. श्री सलमान खान अभिभाषक अपीलांट
2. श्री जी0एस0लखावत अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—29.08.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 44 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 संशोधित आदेश (04.10.2023) के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 01 ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मसूदा के समक्ष विरूद्ध राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार प्रस्तुत किया गया। उपरोक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज होने पर रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात दिनांक 02.08.2023 को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। उसके पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जा0दी0 का प्रस्तुत किया गया। इसके उपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में पुनः संशोधित आदेश दिनांक 04. 10.2023 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 44 / 2023 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 संशोधित आदेश (04.10.2023) से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि की मेड में से होकर रास्ता दिया है तथा प्रार्थीगण अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष समस्त तथ्य व दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए है जिससे प्रार्थीगण हितबद्ध साबित होते है इसलिए प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत किए जाने की स्वीकृति दिया जाना आवश्यक एवं न्यायचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की खातेदारी भूमि की मेड में से होकर रास्ता दिया है तथा प्रार्थीगण अपीलांट को पक्षकार ही नहीं बनाया है जिससे प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड रहा है अर्थात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से प्रार्थीगण व्यथित पक्षकार है इसलिए प्रार्थीगण को उक्त अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायिक एवं आवश्यक है, परंतु अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी दस्तावेजात का उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे अपीलांट उक्त प्रकरण में व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आता हो। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार संयोजित नहीं थे व ना ही उक्त अपील के माध्यम से उन्होंने न्यायालय हाजा को इस बाबत स्पष्ट रूप से बताया है कि वह किस आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय व संशोधित निर्णय क्रमशः दिनांक 02.08.2023 संशोधित आदेश दिनांक (04.10.2023) से किस प्रकार प्रभावित हुए है।

अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार हीं नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है

कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष वाद दायर कर अपना उपचार मांग सकता है।

अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

अपीलांट विचारण न्यायालय के समक्ष पक्षकार ही सृजित नहीं थे तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश से उनके किस प्रकार से हित प्रभावित हुए है या वह किस प्रकार से उक्त प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आते है। इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वह बताने में असमर्थ रहे है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 संशोधित आदेश (04.10.2023) में अपीलांट पक्षकार ही नहीं थे तो वे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में ऐसे कोई समुचित कारण अंकित नहीं किए है व ना ही किसी प्रकार के कोई समुचित दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं, जिससे वह पीडित व व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते हो।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला ब्यावर द्वारा प्रकरण संख्या 44/2023 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2023 संशोधित आदेश (04.10.2023) को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर